न्यायालय तहसीलदार अजमेर

प्रकरण संख्या 3/2020 अन्तर्गत धारा 91 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का भूडोल बनाम श्री रामस्वरूप रावत पुत्र बाबू सिह रावत जाति रावत भूडौल

निर्णय

पत्रावली पेश हुई संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है। कि पटवारी हल्का भूडोल ने रिपोर्ट प्रस्तूत की कि ग्राम भूडोल के खसरा नम्बर 3561 रकबा 7.05 हैक्टयर चरागाह भूमि है। जिसमे से 0.09 हैक्टयर भूमि पर चारदिवारी निर्माण कर कब्जा किया गया है।

वर्तमान मे ग्राम भूडोल की आराजी खसरा नम्बर 3561 रकबा 7.05 हैक्टयर मुताबिक रेंकॉर्ड चरागाह भूमि दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अतिक्रमी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 91 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल व गैर सायल अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो असन्तोषप्रद पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी सम्वत 2076 के अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडोंल अनुसार ग्राम भूडोल के खसरा नम्बर 3561 रकबा 7.05 हैक्टयर चरागाह भूमि है जिसमे अतिक्रमी श्री रामस्वरूप रावत पुत्र बाबू लाल रावत जाति रावत ग्राम भूडोल द्वारा खसरा नमबर 3561 रकबा 0.09 पर पक्की चारदिवारी निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा किया जाना साबित होता है।

अतः उक्त अतिक्रिमत भूमि ग्राम भूडोल के खसरा नं 3561से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है साथ ही अतिक्रिमित भूमि की लगान 2रु का पचास गुना 100 रु शास्ती आरोपित से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व अभि0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वसूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार अजमेर

तहसीलदार, अजमेर

इस पत्रावली की मांग की राशि 100/- रा.ले.सं.–4 वर्ष 2019...2020...के पृष्ठ सं. 28 पर इन्द्राज की गई ।

तहसील राजस्व लेखाकार
अजमेर